

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

मसल संख्या - 163/2021

निर्णय दिनांक :- 25/6/2021

रहनवानी प्रार्थना पत्र -

1. न्याली पुत्री गुल्ला जाति कुमावत निवासी कल्याणपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. मदन पुत्र गुल्ला जाति कुमावत निवासी कल्याणपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. रामनाथ पुत्र पोखर जाति कुमावत निवासी कल्याणपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. लादी पत्नी गुल्ला जाति कुमावत निवासी कल्याणपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. लाला पुत्र गुल्ला जाति कुमावत निवासी कल्याणपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. रामकन्या पत्नी रामनाथ जाति कुमावत निवासी कल्याणपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

-प्रार्थी पक्ष

बनाम


तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

-अप्रार्थी पक्ष

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट
आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 372 खसरा नम्बर 2534/286 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 286 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 337/2408 रकबा 0.24 है0 व खाता संख्या 414 खसरा नम्बर 286/2405 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है व पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नहीं है।

अतः जमाबंदी संवत् 2071-74 में अंकित आराजी खाता संख्या 372 खसरा नम्बर 2534/286 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 286 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 337/2408 रकबा 0.24 है0 व खाता संख्या 414 खसरा नम्बर 286/2405 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम डाबरकलां की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमीश्नर बनाया जाता है और मौका कमीश्नर फीस 1000/- रू0 निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।


उपखण्ड अधिकारी
देवली